<u>न्यायालय मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी (राजस्व बोर्ड) ग्वालियर म.प्र.</u>

R 7050-PB/2017 प्र.क्रं.

01. विजय कुमार पिता कन्हैयालाल जैन
निवासी जनता कॉलोनी मंदसौर

02. गोपाल कुमार पिता कोमलराम जी सेठिया
निवासी हाउसिंग कॉलोनी मदंसौर

---प्रार्थीगणं

विरूद्ध

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मंदसौर म.प्र.

---विपक्षी

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 56 स्टाम्प एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 19.05.2015 प्रकरण कमांक 34बी–103/33,40/2013–14 स्टाम्प कलेक्टर जिला मंदसौर म.प्र.</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 7050–पीबीआर/17 **जिला मंदसौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में डेढ वर्ष से भी अधिक विलम्ब प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्को में एवं धारा 5 के आवेदन में आदेश की सूचना आवेदक को नहीं देना बताया है, जो विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आवेदक पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है । वह स्वयं अनुबंध के पालन के लिये कोर्ट गया था जहॉ अनुबंध का लाभ लेना चाहता है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि आदेश की जानकारी आवेदक को नहीं थी। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	